इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 116] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 अप्रैल 2025—चैत्र 25, शक 1947

## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. SNT—14—0004—2025—इकतालीस—2—(I) भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2025

यतः, पहचान स्थापित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुतायत की आवश्यकता से छुटकारा दिलाता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है;

और यतः, मध्यप्रदेश शासन के अधीन विभिन्न विभाग (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् यथास्थिति उक्त मंत्रालय या उक्त विभाग या उक्त सरकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) लाभार्थी पंजीकरण और सत्यापन के प्रयोजनों के लिए समग्र प्लेटफॉर्म पर समग्र आईडी का उपयोग करके विभिन्न विभागीय योजनाओं/सेवाओं को संचालित कर रहे हैं (योजनाएं परिशिष्ट में संलग्न किए गए अनुसार);

और यतः, सब्सिडी, लाभ या सेवा जिनकी प्राप्ति के लिए आधार नंबर का प्रमाण आवश्यक किया जाना प्रस्तावित है, व्यक्ति/लाभार्थी को उक्त योजना और उसके संबंध में जारी निदेशों और दिशा-निर्देशों के अधीन दिया जाता है। उक्त योजना के लिए व्यय मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाता है;

अतएव, सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, , लाभों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त लाभों की प्राप्ति हेतु शर्त के रूप में किसी लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन के लिए आधार नम्बर के प्रयोग को अधिसूचित करती है और

अपेक्षा करती है कि ऐसा लाभार्थी अधिप्रमाणन करेगा या आधार नम्बर के होने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा या किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसके पास उसे समनुदिष्ट आधार नम्बर नहीं है, वह इस निमित्त जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-

1. (1) उक्त योजना के अधीन उक्त लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी व्यक्ति से अधिप्रमाणन कराने या आधार नंबर रखने का प्रमाण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) किसी व्यक्ति को आधार नंबर समनुदिष्ट नहीं किए जाने की स्थिति में उससे नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जाएगी:

परंतु यदि वह व्यक्ति बच्चा है, तो ऐसा आवेदन केवल उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक की सहमति से प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन के अधीन उक्त विभाग ऐसे लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेंगे, जिनका अभी नामांकन किया जाना है अथवा रजिस्ट्रार के साथ समन्वय कर और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केन्द्रों की स्थापना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करने सहित समुचित उपायों के माध्यम से उनके आधार विवरण को अद्यतन करेंगे:

परंतु ऐसे लाभार्थी को आधार नंबर समनुदिष्ट किए जाने तक वह निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके, जिनका कि वह हकदार है और जो प्रस्तुत किए जाने के समय विधिमान्य हैं, उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान स्थापित कर सकेगा या यदि मध्यप्रदेश शासन के अधीन उक्त विभागों द्वारा ऐसी पहचान के लिए प्रदान किया गया या अधिकृत किया गया सॉफ्टवेयर ऐसे दस्तावेजों की अन्तर्वस्तुओं को प्रमाणित करने के प्रयोजन के लिए उनकी तैयारी या रखरखाव से संबंधित प्राधिकरण के डेटाबेस से इलेक्ट्रॉनिक जानकारी प्राप्त करने का, ऐसी प्राप्ति करने के लिए अपनी सहमति देकर, समर्थन करता है, अर्थात्:-

*18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे के लिए जिसे आधार नंबर समनुदिष्ट नहीं किया गया है:*

(क) लाभार्थी के नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई नामांकन की प्रक्रिया से गुज़रने की पावती, जिसमें नामांकन आईडी (ईआईडी) अंतर्विष्ट है;

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, यह प्रमाणित करने के लिए कि लाभार्थी 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, अर्थात्:-

(एक) जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के अधीन प्रदान किया गया जन्म प्रमाण-पत्र, लाभार्थी के जन्म के संबंध में जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि से उद्धृत;

(दो) भारतीय पासपोर्ट;

(तीन) किसी मान्यताप्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण-पत्र या अंकसूची;

(चार) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे या कानूनी मामले में संलिप्त बच्चे के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य शासन के साथ पंजीकृत चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में रखा गया हो, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण-पत्र; या

(पांच) विदेशी नागरिक के संबंध में, -

(क) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड ;

(ख) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (फारेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन आफिस) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र;

(ग) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(घ) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक से भिन्न है, तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में विधिमान्य या विधिमान्यता समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा; या

(ग) लाभार्थी की फोटोयुक्त निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जो उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ उसके संबंध को प्रमाणित करता हो, अर्थात्: -

(एक) राशन कार्ड;

(दो) राजपत्रित अधिकारी जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या राज्य शासन के तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र या निवास प्रमाण-पत्र;

(तीन) किसी शासकीय संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा किसी सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(चार) भारतीय पासपोर्ट;

(पांच) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण-पत्र या अंकसूची;

(छह) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे या विधिक मामले में संलिप्त बच्चे के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य शासन के साथ पंजीकृत चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में रखा गया हो, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्म तिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण-पत्र; या

(सात) विदेशी नागरिक के संबंध में, -

(क) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड ;

(ख) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय फारेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन आफिस द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र;

(ग) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(घ) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक से भिन्न है, तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या वैधता समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा; या

(आठ) ऐसे लाभार्थी के संबंध में, जिसके पास विधिक संरक्षक है, विधिक संरक्षकता के साक्ष्य हेतु दत्तक ग्रहण आदेश या अन्य दस्तावेज, जो संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 क 8) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) राष्ट्रीय स्वपरायणता प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहुनिशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों एवं विनियमों के अधीन विधि के न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो; या

(नौ) कोई अन्य दस्तावेज, जो कि राज्य शासन के अधीन उक्त विभाग निर्दिष्ट करे।

*18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए, जिन्हें आधार नंबर समनुदिष्ट नहीं किया गया है:*

(क) लाभार्थी के नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई नामांकन की प्रक्रिया से गुजरने की पावती, जिसमें ईआईडी अंतर्विष्ट हो;

(ख) लाभार्थी की तस्वीर वाले निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अर्थात्:-

(एक) भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र;

(दो) राशन कार्ड;

(तीन) राजपत्रित अधिकारी, जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से अनिम्न पद श्रेणी का राज्य शासन का राजस्व अधिकारी हो, द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र या निवास प्रमाण-पत्र;

(चार) किसी शासकीय सत्ता या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत् लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(पांच) भारतीय पासपोर्ट;

(छह) किसी मान्यताप्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण-पत्र या अंकसूची;

(सात) किसी शासकीय सत्ता या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत् या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;

(आठ) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड;

(नौ) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी वाहन चालन अनुज्ञप्ति;

(दस) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे या विधिक मामले में संलिप्त बच्चे के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य शासन के साथ पंजीकृत चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रखा जाता है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्म तिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण-पत्र; या

(ग्यारह) विदेशी नागरिक के संबंध में, -

(क) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड;

(ख) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (फारेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन आफिस) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र;

(ग) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(घ) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में विधिमान्य या विधिमान्यता समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा; या

(बारह) ऐसे लाभार्थी के संबंध में, जिसके पास विधिक संरक्षक है, विधिक संरक्षकता के साक्ष्य हेतु दत्तक ग्रहण आदेश या अन्य दस्तावेज, जो संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1990 का 8) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) राष्ट्रीय स्वपरायणता प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहुनिशक्ततताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 4) या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों एवं विनियमों के अधीन विधि के न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो; या

(तेरह) कोई अन्य दस्तावेज, जो कि राज्य शासन के अधीन उक्त विभाग निर्दिष्ट करे।

(4) राज्य शासन के अधीन उक्त विभागों द्वारा इस संबंध में पदाभिहित एक अधिकारी बिन्दु क्रमांक 1 के खण्ड (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों या उनकी अन्तर्वस्तुओं को प्रमाणित करने वाली सूचना के संबंध में जांच करेगा, -

(क) माय आधार पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) पर ईआईडी प्रस्तुत करके नामांकन अनुरोध की स्थिति यह पुष्टि करने के लिए कि ईआईडी विधिमान्य है और नामांकन अनुरोध अस्वीकार नहीं किया है; और

(ख) अन्य दस्तावेज और इस प्रयोजन के लिए, किसी शासकीय सत्ता या ऐसे प्राधिकरण की सहायता ले सकता है और प्रस्तुत सूचना को उसके साथ साझा कर सकता है जो ऐसे दस्तावेजों में निहित सूचना की तैयारी या रखरखाव से संबंधित है।

2. लाभार्थियों को उक्त लाभों को सुविधाजनक ढंग से प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, मंत्रालय उक्त योजना के अधीन आधार नंबर की आवश्यकता के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

3. जहां किसी भी लाभार्थी के आधार नंबर का बायोमेट्रिक आधारित अधिप्रमाणन रीति अर्थात् फेसियल इमेज, फ्रिंगरप्रिंट या आईरिस स्केन आधारित अधिप्रमाणन के माध्यम से अधिप्रमाणन किसी भी कारण से विफल हो जाता है, जैसे कि बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता, तो निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय अपनाए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) यदि अधिप्रमाणन का कोई विशेष बायोमेट्रिक-आधारित तरीका सफल नहीं होता है, तो बायोमेट्रिक-आधारित अधिप्रमाणन का कोई अन्य तरीका, या वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित अधिप्रमाणन जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, प्रस्तावित किया जाएगा;

(ख) ऐसे मामलों में, जहां अधिप्रमाणन के बायोमेट्रिक-आधारित या ओटीपी-आधारित तरीके संभव नहीं हैं, उक्त योजना के अधीन लाभ यथा स्थिति आधार सिक्योर क्विक रिस्पोंस (क्यू आर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र के ऑफ़लाइन सत्यापन करके आधार नंबर की वास्तविकता स्थापित करने के पश्चात्, निम्नलिखित में से किसी प्रक्रिया के आधार पर प्रदान किए जा सकेंगे; अर्थात्:-

(एक) आधार सिक्यूर क्विक रिस्पोंस (क्यू आर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात्, आधार नंबर धारक को उसके आधार नंबर के सृजन पर जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (अर्थात्, यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य या इसके एम आधार ऐप का उपयोग करके सुलभ) आधार पत्र की पासवर्ड-संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति शामिल है, आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफ़लाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी प्रामाणिकता स्थापित होने के पश्चात्;

(दो) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज (यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किए जाने योग्य या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके सुलभ यूआईडीएआई की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या योजना कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी प्रामाणिकता स्थापित होने के पश्चात्।

4. ऊपर अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी,-

(क) उक्त योजना के अधीन लाभ दिए जाने से किसी बच्चे को मना नहीं किया जाएगा,-

(एक) अधिप्रमाणन करके या आधार नंबर रखने का सबूत प्रस्तुत करके अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहने की दशा में; या

(दो) नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की दशा में, जहां उसे कोई आधार नंबर नहीं दिया गया है; और

(ख) उक्त योजना के अधीन लाभ, ऐसे बच्चे को उसकी पहचान सत्यापित करके और उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ उसके संबंध को स्थापित करके, बिन्दु क्रमांक 1 के खण्ड (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट रीति में दिया जाएगा; और

(ग) जहां बिन्दु क्रमांक 4 के खण्ड (ख) के अधीन लाभ दिया जाता है, वहां उसके संबंध में अभिलेख संधारित किया जाएगा, जिसकी राज्य शासन के अधीन विभागों द्वारा समय-समय पर समीक्षा और लेखापरीक्षा की जाएगी।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए, कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थी उक्त योजना के अधीन उन्हें मिलने वाले लाभ से वंचित न रह जाएं, राज्य शासन के अधीन विभाग प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन, केबिनेट सेक्रेट्रिएट, गवर्मेंट आफ इण्डिया के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक डी-26011/04/2017-डीबीटी, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध) में विनिर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन मैकेनिज्म (एम्सेप्शन हैंडलिंग मेकेनिज्म) का अनुसरण करेंगे।

6. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

## परिशिष्ट -1

| मध्यप्रदेश शासन, योजनाओं/सेवाओं की सूची | | |
|---|---|---|
| कुल 93 योजनाएं | | |
| अनुक्रमांक | विभाग का नाम | योजनाओं/सेवाओं का नाम |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति |
| 2. | | ओबीसी छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति |
| 3. | विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग | अखिल भारतीय राज्य प्रशासनिक सेवाओं के उम्मीदवारों को प्रोत्साहन |
| 4. | | मुख्यमंत्री विमुक्त घुमक्कण एवं अर्द्ध घुमक्कड़ स्वरोजगार योजना |
| 5. | | कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजना |
| 6. | | मुख्यमंत्री आवास भाड़ा योजना |
| 7. | | पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति |
| 8. | | प्राथमिक शिक्षा छत्रवृत्ति |
| 9. | | विभिन्न छात्रवृत्तियाँ |
| 10. | पशुपालन और डेयरी विभाग | बछड़ा पालन योजना |
| 11. | | गौ समाधान एवं पशुओं का संवर्धन |
| 12. | | बड़े पशुओं का प्रवर्तन |
| 13. | | छोटे पशुओं और मुर्गी पालन का प्रवर्तन |
| 14. | आयुष विभाग | आयुर्वेद महाविद्यालय में छात्रों के लिए छात्रवृत्ति |
| 15. | | होम्योपैथी महाविद्यालय में छात्रों के लिए छात्रवृत्ति |
| 16. | | यूनानी महाविद्यालय में छात्रों के लिए छात्रवृत्ति |
| 17. | कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग विभाग | रेशम उत्पादन मलबरी का विकास |
| 18. | | टसर रेशम उत्पादन विकास और विस्तार कार्यक्रम |
| 19. | | प्रशिक्षण और अनुसंधान |
| 20. | | उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों को सहायता की अम्ब्रेला योजना |
| 21. | | अम्ब्रेला योजना एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम |
| 22. | उच्च शिक्षा विभाग | गांव की बेटी |
| 23. | | कंप्यूटर प्रबंधन में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र को जीवन निर्वाह भत्ता (जीवन निर्वाह भत्ता)। |
| 24. | | एससी/एसटी के लिए पीएचडी छात्रवृत्ति |
| 25 | | प्रतिभा किरण |
| 26. | | प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना |
| 27. | | संस्कृत छात्रवृत्ति |
| 28. | | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें, लेखन सामग्री वितरण |
| 29. | | विकलांग छात्रों को शोध के लिए छात्रवृत्ति |
| 30. | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग | मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना |

| | | |
|---|---|---|
| 31. | तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग | मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना- एमएमव्हीवाई |
| 32. | | मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना- एमएमजेकेवाई |
| 33. | | मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना |
| 34. | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | घरेलू गैस रिफिल के लिए राज्य सब्सिडी |
| 35. | वन विभाग | जंगली जानवरों से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा |
| 36. | | स्थान परिवर्तन और अधिकार अधिग्रहण के लिए मुआवजा |
| 37. | श्रम विभाग | राज्य पीएससी/यूपीएससी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को सहायता |
| 38. | | श्रमिक शेड योजना के लिए निर्माण |
| 39. | | दिव्यांगता सहायता और मृत्यु योजना और अंतिम संस्कार सहायता के मामले में अनुग्रह राशि भुगतान |
| 40. | | शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना |
| 41. | | खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ। |
| 42. | | दुर्घटनावश मृत्यु पर अनुग्रह राशि |
| 43. | | सामान्य मृत्यु पर अनुग्रह राशि |
| 44. | | आंशिक स्थायी दिव्यांगता पर अनुग्रह राशि |
| 45. | | अपंजीकृत निर्माण श्रमिक के लिए निर्माण कार्य के दौरान मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि भुगतान और अंतिम संस्कार सहायता। |
| 46. | | स्थायी दिव्यांगता पर अनुग्रह राशि |
| 47. | | साइकिल खरीदने के लिए अनुदान योजना |
| 48. | | उपकरण/यंत्र खरीदने के लिए अनुदान योजना |
| 49. | | आवास सहायता योजना ग्रामीण |
| 50. | | आवास सहायता योजना शहरी |
| 51. | | विवाह सहायता योजना |
| 52. | | मातृत्व सहायता योजना |
| 53. | | चिकित्सा सहायता योजना |
| 54. | | निर्माण श्रमिक के लिए आश्रय गृह योजना |
| 55. | | कौशल विकास योजना |
| 56. | | सुपर 5000 (कक्षा-10वीं) योजना |
| 57. | | सुपर 5000 (कक्षा-12वीं) योजना |
| 58. | पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग | ग्रामीण पथ व्यवसायी उत्थान योजना |
| 59. | | एमपी ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना एमपीआरसीपी |
| 60. | | मुख्यमंत्री जन आवास योजना |
| 61. | | मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना |
| 62. | | आशा एवं आशा फेसीलिटेटर (ए एफ) के लिए राज्य प्रोत्साहन |
| 63. | | व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप |

| | | |
|---|---|---|
| 64. | राजस्व विभाग | मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना |
| 65. | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग | आवास सहायता |
| 66. | | डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना |
| 67. | | विदेश शिक्षा छात्रवृत्ति |
| 68. | | मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना |
| 69. | | संत रवि दास स्वरोजगार योजना |
| 70. | | पहली से पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना |
| 71. | | 6वीं से 10वीं कक्षा के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना |
| 72. | स्कूल शिक्षा विभाग | निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण |
| 73. | | प्रतिभाशाली विद्यार्थी लैपटॉप योजना |
| 74. | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग | मानसिक रूप से दिव्यांग या बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता |
| 75. | | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन |
| 76. | | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
| 77. | आदिवासी कल्याण विभाग | आहार अनुदान योजना |
| 78. | | आवास सहायता |
| 79. | | भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना |
| 80. | | सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्रों को प्रोत्साहन |
| 81. | | उत्कृष्ट छात्रावास |
| 82. | | विदेश छात्रवृत्ति |
| 83. | | जूनियर छात्रावास |
| 84. | | महाविद्यालीन छात्रावास |
| 85. | | प्रतिभा योजना |
| 86. | | सार्वजनिक कोचिंग संस्थान के माध्यम से अखिल भारतीय सेवाओं के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण |
| 87. | | सीनियर छात्रावास |
| 88. | | टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना |
| 89. | नगरीय विकास एवं आवास विभाग | मुख्यमंत्री युवास्वाभिमान योजना |
| 90. | | नगरीय पथ व्यवसाय उत्थान योजना |
| 91. | महिला एवं बाल विकास विभाग | लाड़ली लक्ष्मी योजना |
| 92. | | मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना - 2023 |
| 93. | | मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**गुरु प्रसाद**, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2025

क्र. SNT–14–0004–2025–इकतालीस–2.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक SNT–14–0004–2025–इकतालीस–2–(I), दिनांक 15 अप्रैल 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**गुरू प्रसाद,** उपसचिव.

No. SNT-14-0004-2025-XLI-2 (I) Bhopal, the 15th April 2025

Whereas, the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas, the various departments under the Government of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the said Ministry or the said Department or the said Government, as the case may be) are administering various departmental Schemes/Services using Samagra ID on Samagra Platform for the purposes of beneficiary registration and verification (Schemes as attached- Annexure 1);

And whereas, subsidy, benefit or service for receipt of which proof of Aadhaar number is proposed to be made necessary is given to the Individual / Beneficiary under the said Scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof. The expenditure for the said Scheme is incurred from the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the State Government, hereby, notifies the use of Aadhaar

number for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit and requires that such beneficiary undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or in case of an individual, who has no Aadhaar number assigned to him shall submit an application for enrolment, as per the guidelines issued in this behalf, namely:-

1. (1) An individual desirous of availing the said benefit under the said Scheme shall be required to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number.

(2) In case an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to submit an application for enrolment:

Provided that if the individual is a child, such application shall be submitted only with the consent of his parent or legal guardian.

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said Departments under the Government of Madhya Pradesh shall ensure enrolment of such beneficiaries, who are yet to be enrolled or update their Aadhaar details through appropriate measures, including co-ordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail the said benefit by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation or in case the software provided or authorised by the said Departments under Government of Madhya Pradesh for such identification supports obtaining electronic information for the purpose of evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof by giving his consent for so obtaining, namely:—

*For a child below 18 years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned:*

(a) the acknowledgement of the beneficiary who has undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID (EID);

(b) any one of the following documents to evidence that the beneficiary is a child below 18 years of age, namely: —

  (i) certificate of birth provided under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), as extracted from the entry made in the register of births regarding the birth of the beneficiary;

  (ii) Indian passport;

(iii) certificate or statement of marks of Matriculation or 10th Class or Higher Secondary or 12th Class, issued by any recognised Board of School Education;

(iv) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered with the concerned State Government under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the Person-In-Charge, Superintendent, Child Welfare Officer or Probation Officer of such Institution; or

(v) in respect of a foreign national,—

(A) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, then Overseas Citizen of India Card;

(B) if he is a Tibetan refugee, then registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(C) if he is a national of Nepal or Bhutan, then passport of Nepal or Bhutan;

(D) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, then either an Indian visa along with foreign

passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or

(c) any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary, to evidence his relationship with the parent or legal guardian, namely: —

(i) Ration card;

(ii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a Revenue Officer of the State Government, not below the rank of Tehsildar;

(iii) medical or insurance identity card issued by a Government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;

(iv) Indian passport;

(v) certificate or statement of marks of Matriculation or 10th Class or Higher Secondary or 12th Class, issued by any recognised Board of School Education;

(vi) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered with the concerned State Government under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and

Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the Person-In-Charge, Superintendent, Child Welfare Officer or Probation Officer of such Institution; or

(vii) in respect of a foreign national, —

(A) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, then Overseas Citizen of India Card;

(B) if he is a Tibetan refugee, then registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(C) if he is a national of Nepal or Bhutan, then passport of Nepal or Bhutan;

(D) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, then either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or

(viii) in respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015

(2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(ix) any other document, as the said Departments under the State Government, may specify.

*For beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:*

(a) the acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the EID;

(b) any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:—

(i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;

(ii) Ration card;

(iii) caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted Officer, who is an Executive Magistrate or a Revenue Officer of the State Government, not below the rank of Tehsildar;

(iv) medical or insurance identity card issued by a Government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;

(v) Indian passport;

(vi) certificate or statement of marks of Matriculation or 10th Class or Higher Secondary or 12th Class, issued by a recognised Board of School Education;

(vii) identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a Government entity or a public sector enterprise;

(viii) disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) cardissued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*), Government of India;

(ix) driving licence issued by the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India:

(x) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered with the concerned State Government under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the Person-In-Charge, Superintendent, Child Welfare Officer or Probation Officer of such Institution; or

(xi) in respect of a foreign national,—

(A) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, then Overseas Citizen of India Card;

(B) if he is a Tibetan refugee, then registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(C) if he is a national of Nepal or Bhutan, then passport of Nepal or Bhutan;

(D) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, then either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or

(xii) in respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(xiii) any other document, as the said Departments under the State Government, may specify.

(4) An officer designated by the said Departments under the State Government in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3) of point number 1, —

(a) the status of the enrolment request by submitting the EID on myAadhaar portal (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) to confirm that the EID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and

(b) the other documents and for this purpose, may take the assistance and share the information presented with any Government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2. In order to enable beneficiaries to avail the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said Scheme.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary is done through any of the biometric-based modes of authentication, namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication, if it fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: —

(a) in case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or One-Time Password (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;

(b) in cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said Scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following, namely:-

(i) an Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (*i.e.,* the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (*i.e.,* the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps;

(ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or Scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove,—

(a) benefit under the said Scheme shall not be denied to a child,—

(i) in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or

(ii) in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number; and

(b) benefit under the said Scheme shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner as specified in the proviso to clause (3) of point number 1; and

(c) where benefit is provided under clause (b) of point number 4, a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Departments under the State Government.

5. In order to ensure that *bona fide* beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said Scheme, the Departments under the State Government shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on https://dbtbharat.gov.in).

6. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

## ANNEXURE-1

| List of Schemes/Services, Government of Madhya Pradesh | | |
|---|---|---|
| **Total 93 schemes** | | |
| **S.No.** | **Name of Department** | **Name of Schemes/services** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| 1. | Backward Classes and Minorities Welfare Department | Post Matric Scholarship for OBC students |
| 2. | | Pre-Matric Scholarship for OBC students |
| 3. | Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Welfare Department | Akhil bhartiya rajya prashasnik sevaon ke ummidwaaron ko protsahan |
| 4. | | Chief Minister Denotified Nomadic and Semi Nomadic Self Employment Scheme |
| 5. | | Kannyaon ko shikshan hetu protsahan yojana |
| 6. | | Mukhya Mantri Awaas Bhada Yojana |
| 7. | | Postmatric Scholarship |
| 8. | | Prathmik Shiksha Chhatrvritti |
| 9. | | Various Scholarships |
| 10. | Animal Husbandry and Dairying Department | Calf Rearing Scheme |
| 11. | | Gau Samadhan Evam Pashuvo ka samvardhan |
| 12. | | Induction of large animals |
| 13. | | Induction of small animals and poultry |
| 14. | Ayush Department | Ayurveda mahavidhyalya scholarship for students |
| 15. | | Homeopathy mahavidhyalya scholarship for students |
| 16. | | Unani Mahavidhyalya Scholarship for Students |
| 17. | Cottage and Rural Industry Department | Development of Sericulture Mulberry |
| 18. | | Tasar Sericulture Development and Extension Programme |
| 19. | | Training and Research |
| 20. | | Umbrella Scheme Assistance to Enterpreneurs SHGs and NGOs |
| 21. | | Umbrella Scheme Intregrated Cluster Development Programme |
| 22. | Higher Education Department | Gaon ki Beti |
| 23. | | Life Discharge Allowance (Jeevan Nirwahan Bhatta) to the Disabled Student studying in Computer Management |
| 24. | | PHD Scholarship for ST/SC |
| 25. | | Pratibha Kiran |
| 26. | | Pratibha shaali vidhyarthiyon ko videsh adhyayan hetu nishulk shiksha scheme |
| 27. | | Sanskrit scholarship |
| 28. | | SC/ST students ko nishulk books stationary distribution |
| 29. | | Scholarship to disabled stundents for research |
| 30. | Micro, Small and Medium Enterprises Department | Mukhyamantri Udhyam Kranti Yojana |

| | | |
|---|---|---|
| 31. | Technical Education, Skill Development and Employment Department | Muhkhya Mantri Medhavi Vidyarthi Yojana-MMVY |
| 32. | | Mukhya Mantri Jan Kalyan (Shiksha Protsahan) Yojana-MMJKY |
| 33. | | Mukhya Mantri Seekho Kamao Yojana |
| 34. | Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department | State Subsidy for Domestic Gas Refill |
| 35. | Forest Department | Compensation for casualties from wild animals |
| 36. | | Compensation for relocation and acquisition of right |
| 37. | Labour Department | Assistance to candidates who have cleared state PSC/UPSC |
| 38. | | Construction for Labour Shed Scheme |
| 39. | | Disability assistance and ex-gratia payment in case of death scheme and funeral assistance |
| 40. | | Education Assistance (Scholarship) Scheme |
| 41. | | Encouragement Schemes for players. |
| 42. | | Ex-gratia accidental death |
| 43. | | Ex-gratia normal death |
| 44. | | Ex-gratia partial permanent disability |
| 45. | | Ex-gratia payment and funeral assistance in case of death during construction work for un-registered construction worker. |
| 46. | | Ex-gratia permanent disability |
| 47. | | Grant scheme for purchase of Bicycle |
| 48. | | Grant Scheme for Purchase of tools/Instrument's |
| 49. | | Housing Assistance Scheme Rural |
| 50. | | Housing Assistance Scheme Urban |
| 51. | | Marriage Assistance Scheme |
| 52. | | Maternity Assistance Scheme |
| 53. | | Medical Assistance Scheme |
| 54. | | Shelter Home Scheme for construction worker |
| 55. | | Skill Development Scheme |
| 56. | | Super 5000 (class-10th) Scheme |
| 57. | | Super 5000 (class-12th) Scheme |
| 58. | Panchayat and Rural Development Department | Grameen Path Vyavsaai Utthan Yojana |
| 59. | | MP Rural Connectivity Project MPRCP |
| 60. | | Mukhya Mantri Jan Awas Yojna |
| 61. | | Mukhya Mantri Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojana |
| 62. | | State Incentive for ASHA & AF |
| 63. | | Chief Minister Youth Internship for Professional Development Program |
| 64. | Revenue Department | Mukhya Mantri Kisaan Kalyaan Yojana |

| | | |
|---|---|---|
| 65. | Scheduled Caste Welfare Department | Awaas Sahayata |
| 66. | | Dr. Bhimrao Ambedkar Aarthik Kalyan Yojana |
| 67. | | Foreign Education Scholarship |
| 68. | | Mukhyamantri Anusuchit Jaati Vishesh Pariyojana Vitt Poshan Yojana |
| 69. | | Sant Ravi Das Swarojgaar Yojana |
| 70. | | Scholarship Scheme for 1st to 5th class students |
| 71. | | Scholarship Scheme for 6th to 10th class SC students |
| 72. | School Education Department | Free Text Book Distribution |
| 73. | | Pratibhashali Vidhyarthi Laptop Yojana |
| 74. | Social Justice and Disabled Welfare Department | Financial assistance to mentally retarded or persons with multiple disability |
| 75. | | Mukhya Mantri Kanya Abhibhawak Pension |
| 76. | | Social Security Pension Scheme |
| 77. | Tribal Welfare Department | Aahar Anudan Yojana |
| 78. | | Aawaas Sahayata |
| 79. | | Bhagwan Birsa Munda Swarojgar Yojana |
| 80. | | Civil Sewa Pariksha Me Uttirna Chhatra-Chhatraon Ko Protsahan |
| 81. | | Excellence Hostel |
| 82. | | Foreign Scholarship |
| 83. | | Junior Hostel |
| 84. | | Mahavidyaleen Hostel |
| 85. | | Pratibha Yojana |
| 86. | | Pre-Examination Training for All India Services Through Public Coaching Institute |
| 87. | | Senior Hostel |
| 88. | | Tantya Mama Arthik Kalyan Yojana |
| 89. | Urban Development and Housing Department | Mukhyamantri Yuvaswabhiman Yojana |
| 90. | | Nagriya Path Vyavsaai Utthan Yojana |
| 91. | Women and Child Development Department | Ladli Laxmi Yojana |
| 92. | | Mukhyamantri Ladli Bahna Yojna - 2023 |
| 93. | | Mukhyamantri Udhyam Shakti Yojna |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
GURU PRASAD, Dy. Secy.

क्र. SNT–14–0004–2025–इकतालीस–2–(II) भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2025

यतः, इलेक्ट्रॉनिक एँवं सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन क्र. 13(2)/2021-ईजी-दो, दिनांक 24 अगस्त, 2022 के माध्यम से पहचान के प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन उपयोग के लिए समग्र पोर्टल में निवासियों की पहचान के लिए मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (एमपीएसईडीसी) को अनुमत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन की जानकारी दी है;

और यतः, आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, लाभ और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (ख) का उप- खण्ड (दो) स्वैच्छिक आधार पर अधिप्रमाणन करने की अनुमति देता है, इस प्रयोजन के लिए जैसा कि प्राधिकरण के परामर्श से एवं हित में विहित करे और केन्द्र सरकार इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार ने सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 विरचित किए हैं, जिसमें राज्य सरकार स्वैच्छिक आधार पर आधार उपयोग करने के लिए उक्त नियमों के अधीन अनुमति की वांछा कर सकती है। मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, आधार अधिप्रमाणन के उपयोग के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा यथाविहित दिशानिर्देशों का पालन करेगा तथा दावेदार के आधार का उपयोग करने का आशय न रखने की दशा में मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पहचान के तरीके को पृथक रुप से अधिसूचित करेगा।

अतएव, सुशासन के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (ख) के उप- खण्ड (दो) के साथ पठित आधार अधिप्रमाणन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लाभार्थी के पंजीकरण एवं सत्यापन के प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक आधार पर समग्र पोर्टल पर समग्र आई डी का उपयोग करके आधार अधिप्रमाणन करने के लिए यहां इसके साथ परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न विभिन्न सरकारी सेवाओं तथा योजनाओं को अधिसूचित करती है।

## परिशिष्ट - 1

| विभागीय योजनाओं/सेवाओं की सूची | | |
|---|---|---|
| कुल 120 योजनाएं | | |
| भाग-क | | |
| (समग्र आईडी का उपयोग निम्नलिखित योजनाओं/ सेवाओं में किया जा रहा है)) | | |
| अनुक्रमांक | विभाग का नाम | योजनाओं एवं सेवाओं का नाम |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | सामान्य प्रशासन विभाग | जाति प्रमाण पत्र* |
| 2. | | मूल निवासी प्रमाणपत्र * |
| 3. | | आय प्रमाण पत्र* |
| 4. | योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग | विवाह प्रमाणपत्र * |
| 5. | ऊर्जा विभाग | निम्नदाब के व्यक्तिगत स्थाई नवीन कनेक्शन के लिए माँग-पत्र प्रदान करना, जहाँ ऐसा कनेक्शन विद्यमान नेटवर्क से संभव है। |
| 6. | | उपभोक्ता को कृषि विद्युत कनेक्शन। (राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत वितरण एवं नवीन सेवा कनेक्शन।) |
| 7. | स्कूल शिक्षा विभाग | एमपी बोर्ड पंजीकरण और प्रवेश |
| 8. | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) |
| 9. | | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन सम्मिलित पात्र परिवारों को नवीन पात्रता पर्ची जारी करना । |
| 10. | | उपार्जन हेतु पंजीयन |
| 11. | वित्त विभाग | कोष एवं लेखा संचालनालय द्वारा आईएफएमआईएस में कर्मचारियों एवं लाभार्थियों की पहचान |
| 12. | | सम्पूर्ण आवेदन एसएएमएएसटी पोर्टल पर |
| 13. | राजस्व विभाग | अविवादित नामान्तरण करना (आरसीएमएस) |
| 14. | | भू लेख की सेवाएं (भूमि अभिलेख) |
| 15. | | धारणधिकार योजना, एसएआरए-आरसीएमएस |
| 16. | उच्च शिक्षा विभाग | पंजीकरण/प्रवेश/डिग्री/डिप्लोमा/माइग्रेशन एवं प्रोविजनल सेवा |
| 17. | सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग | दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना पंजीयन |
| 18. | | दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का पंजीयन |
| 19. | | दिव्यांग छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस / निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता योजना का पंजीयन |
| 20. | | दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रावास योजना का पंजीयन |
| 21. | | छह वर्ष से अधिक आयु के बहुदिव्यांग और मानसिक रूप से अविकसित दिव्यांग के लिए सहायता अनुदान योजना पंजीयन |

| भाग-ख | | |
|---|---|---|
| समग्र आईडी का उपयोग किया जा रहा है/ शीघ्र ही एकीकृत किया जाएगा | | |
| 22. | सामान्य प्रशासन विभाग | बीज बिक्री के लिए लाइसेंस अधिप्रमाणन* |
| 23. | | एमपीपीएससी उम्मीदवार - उम्मीदवार का एक बार पंजीकरण |
| 24. | योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग | मृत्यु प्रमाण पत्र |
| 25. | | जन्म प्रमाण पत्र |
| 26. | | जन्म के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति |
| 27. | | मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति |
| 28. | वाणिज्यिक कर विभाग | नागरिक उपयोगकर्ता पंजीकरण, सेवा प्रदाता उपयोगकर्ता सृजन ई-रजिस्ट्री (दस्तावेजों का पंजीकरण) |
| 29. | | ई-स्टाम्प |
| 30. | | विलेखों के पंजीकरण के दौरान पार्टियों और लेन-देन के गवाह का सत्यापन |
| 31. | | विलेखों के पंजीकरण को मंजूरी देते समय उप-रजिस्ट्रार का अधिप्रमाणन |
| 32. | परिवहन विभाग | ड्राइविंग लाइसेंस नया /. नवीनीकरण / डुप्लिकेट |
| 33. | | वाहनों का पंजीकरण |
| 34. | ऊर्जा विभाग | मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्नदाब स्थाई नवीन कनेक्शन प्रदान करना। |
| 35. | | जहाँ वर्तमान निम्न दाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो, वहा 10 कि.वा तक के लिए अस्थायी कनेक्शन प्रदान करने हेतु मांग पत्र जारी करना। |
| 36. | | जहाँ वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो, वहाँ 10 कि.वा. तक के लिए राशि जमा करने के उपरांत अस्थायी कनेक्शन प्रदान करना। |
| 37. | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग | हम्माल (मंडी कृत्यकारी) को अनुमति प्रदान करना |
| 38. | | कीटनाशक लाइसेंस |
| 39. | | तुलावटी (मंडी कृत्यकारी) को अनुमति प्रदान करना |
| 40. | | हम्माल (मंडी कृत्यकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण |
| 41. | | तुलावटी (मंडी कृत्यकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण |
| 42. | | व्यापारी (मंडी कृत्यकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण |
| 43. | | फल-सब्जी प्रसंस्करणकर्ता / विनिर्माता (मंडी कृत्यकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण |
| 44. | राजस्व विभाग | भूमि गिरवी/बंधक - भूमि स्वामियों के सत्यापन हेतु अनुरोध |
| 45. | श्रम विभाग | दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण प्रमाण पत्र |
| 46. | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | *(पीएसएस) मूल्य समर्थन योजना - किसान अधिप्रमाणन और ईकेवाईसी |
| 47. | लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग | ई-वित्तप्रवाह और डॉक्टर सोनोग्राफी करते हुए और पीसीपीएनडीटी ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्टियां करते हुए। (डीडीओ का सत्यापन) |
| 48. | | *छात्र/आवेदक सत्यापन। |
| 49. | | *नया पंजीकरण/पंजीकरण नवीनीकरण |

| | | |
|---|---|---|
| 50. | | *पंजीकरण के लिए एनओसी |
| 51. | | दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किया जाना |
| 52. | | राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण करना |
| 53. | | आवेदक की आयु का चिकित्सीय सत्यापन |
| 54. | | मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरण का स्वीकृत किया जाना |
| 55. | | चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्रदान करना |
| 56. | | परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड प्रदान करना |
| 57. | | राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम |
| 58. | | दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु पंजीयन |
| 59. | स्कूल शिक्षा विभाग | *एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एमपीएसओएस के लिए विभिन्न पदों और विभिन्न परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी आवेदन सत्यापन। |
| 60. | | डूप्लकैट अंकसूची |
| 61. | | अंकसूची संशोधन/सुधार |
| 62. | | *अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली |
| 63. | | मदरसा पंजीयन एवं मदरसा के लिए बोर्ड से मान्यता (मदरसा बोर्ड) |
| 64. | | समिति पंजीयन (मदरसा बोर्ड) |
| 65. | | मान्यताप्राप्त मदरसा का नवीनीकरण (मदरसा बोर्ड) |
| 66. | | समिति का नवीनीकरण (मदरसा बोर्ड) |
| 67. | उच्च शिक्षा विभाग | मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना |
| 68. | | सभी विश्वविद्यालयों के लिए पंजीकरण प्रक्रियाएँ (उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध) सभी विश्वविद्यालयों के लिए सेवाएँ (उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध) |
| 69. | तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग | ऑनलाइन परीक्षा के दौरान प्रतिरूपण और अन्य कदाचार/भ्रष्टाचार से बचने और परीक्षा का निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार का आधार अधिप्रमाणन। |
| 70. | | व्यावसायिक एवं भर्ती परीक्षा हेतु प्रत्याशी/उमीदवार का पंजीयन |
| 71. | | जनभागीदारी के आधार पर रोजगार कार्यालय का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण (एमपी रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण) |
| 72. | | प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) - अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधीन |
| 73. | | (पंजीकरण का उद्देश्य और लाभार्थी की उपस्थिति का संधारण - जिससे लाभार्थियों के प्रतिरूपण और डी-डुप्लिकेशन से बचा जा सके)। |
| 74. | | *कौशल विकास शिक्षा योजना-पंजीकरण |
| 75. | | काउन्सलिंग तकनीकी पाठयक्रम हेतु प्रवेश प्रक्रिया |
| 76. | | आईटीआई प्रमाणपत्र अथवा आईटीआई काउन्सलिंग प्रवेश प्रक्रिया |
| 77. | लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग | *सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवेदक का पंजीकरण और सत्यापन |
| 78. | | *छात्रों का शैक्षिक/परीक्षा पंजीकरण और प्रवेश |
| 79. | | *शिक्षण कर्मचारियों का उनके महाविद्यालयों में सत्यापन - पैरामेडिकल और नर्सिंग काउंसिल |
| 80. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली |

| | | |
|---|---|---|
| 81. | | सीपीसीटी (एमएपीआईटी) परीक्षा पंजीकरण और स्कोर कार्ड |
| 82. | पशुपालन एवं डेरी विभाग | छोटे जानवरों और मुर्गी पालन के लिए लाभार्थी पंजीकरण |
| 83. | लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग | मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना के लिए लाभार्थी पंजीकरण |
| 84. | | मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए लाभार्थी पंजीकरण |
| 85. | जन जातीय कल्याण विभाग | टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के लिए लाभार्थी पंजीकरण |
| 86. | | एमपी वन मित्र पोर्टल (वन अधिकार अधिनियम के लिए आवेदकों का सत्यापन) |
| 87. | | भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के लिए लाभार्थी पंजीकरण |
| 88. | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | नगरीय क्षेत्रों के हैंडपंप एवं ट्यूबवेल का सुधार और पानी पीने योग्य है या नही संबंधी जांच कर रिपोर्ट देना |
| 89. | | ट्रेड लाइसेंस |
| 90. | | अविवादित संपत्ति का अंतरण (मृत्यु प्रकरण) |
| 91. | | अविवादित संपत्ति का हस्तांतरण क्रेता तथा विक्रेता के मध्य आपसी विक्रय विलेख उपरांत |
| 92. | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | ग्रामीण स्व-सहायता समूहों की ग्रेडिंग करना |
| 93. | | ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनाइज़र का रजिस्ट्रीकरण । |
| 94. | | ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनाइज़र लाइसेंस का नवीनीकरण । |
| 95. | | ग्रामीण क्षेत्रों में कालोनी विकास के लिए अनुज्ञा । |
| 96. | | ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा-पत्र |
| 97. | सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग | नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन |
| 98. | राजस्व विभाग | संपत्ति प्रमाण पत्र |
| 99. | | सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र |
| 100. | | चालू खसरा खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय |
| 101. | | चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय |
| 102. | | भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय |
| 103. | | भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट कॉपी) का प्रदाय |
| 104. | | नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र |
| 105. | | राजस्व न्यायालय (राजस्व मंडल को छोड़कर) में लंबित प्रकरणों में पारित आदेश/अंतरिम आदेश या अन्य |
| 106. | | आधिपत्य प्रमाण पत्र |
| 107.. | | अविवादित बंटवारा करना |
| 108. | | भूमि का सीमांकन |
| 109. | सहकारिता विभाग | सहकारी संस्थाओ में सदस्यों के पंजीकरण |
| 110. | गृह विभाग | ऑनलाइन चरित्र सत्यापन। |
| 111. | | पुलिस भर्ती के दौरान अभ्यर्थी का सत्यापन। |
| 112. | | लायसेंस अवधि समाप्त होने के पूर्व अस्वीकार्य बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण (नवीन) |
| 113. | | शस्त्र लाइसेंस |

| | | |
|---|---|---|
| 114. | | लायसेंस अवधि समाप्त होने के पश्चात अस्वीकार्य बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण (नवीन) |
| 115. | | शस्त्र लायसेंस की डुप्लीकेट प्रति (लायसेंस जीर्ण-शीर्ण/क्षतिग्रस्त/नष्ट होने की स्थिति में) |
| 116. | | मर्ग इंटिमेशन की छायाप्रति देना / पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट देना |
| 117. | | स्वीकृत शस्त्र लायसेंस मे शस्त्र (प्रथम शस्त्र जो पुनर्विक्रय का न हो) दर्ज किये जाने बावत आवेदन पत्र |
| 118. | | मृत्यु के उपरांत हथियार का समर्पण एवं लायसेंस का निरस्तीकरण |
| 119. | | स्वीकृत शस्त्र लायसेंस मे शस्त्र (प्रथम शस्त्र जो पुनर्विक्रय का न हो) दर्ज किये जाने बावत आवेदन पत्र |
| 120. | धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग | सी.एम. तीर्थ दर्शन योजना-ऑनलाइन आवेदन |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**गुरू प्रसाद,** उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2025

क्र. SNT—14—0004—2025—इकतालीस—2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक SNT—14—0004—2025—इकतालीस—2—(II), दिनांक 15 अप्रैल 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**गुरू प्रसाद,** उपसचिव.

No. SNT-14-0004-2025-XLI-2 (II) Bhopal, the 15th April 2025

Whereas, the Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology vide its Office Memorandum No. 13(2)/2021-EG-II, dated 24th August, 2022 has conveyed the approval of the competent authority to allow Government of Madhya Pradesh, Science and Technology Department (MPSEDC) for identification of residents in Samagra portal for using Aadhaar authentication on voluntary basis for the purpose of identification;

And whereas, sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), allows performing authentication on voluntary basis, for such purpose as the Central Government in consultation with the authority and in the interest, may prescribe and for such

purposes the Government of India has framed the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, wherein the State Government may seek permission under the said rules to use Aadhaar on voluntary basis. The Government of Madhya Pradesh, Science and Technology Department shall adhere to the guidelines with respect to the use of Aadhaar authentication as prescribed by the Central Government and in case the claimant does not intend to authenticate using Aadhaar, then the Government of Madhya Pradesh, Science and Technology Department shall separately notify the methods of identification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the State Government, hereby, notifies that for various Government Services and Schemes enclosed herewith as Annexure-1, to perform Aadhaar authentication on voluntary basis using Samagra ID on Samagra portal for the purposes of beneficiary registration and verification.

## ANNEXURE-1

| List of Departmental Schemes/Services | | |
|---|---|---|
| **Total 120 schemes** | | |
| **Part-A** | | |
| **Samagra ID being used in following Schemes/Services** | | |
| **S.No.** | **Name of Department** | **Name of Schemes/Services** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| 1. | General Administration Department | Caste certificate |
| 2. | | Domicile certificate |
| 3. | | Income certificate |
| 4. | Planning, Economics and Statistics Department | Marriage certificate |
| 5. | Energy Department | To issue requisition for individual permanent new low pressure connection where such connection is possible from the existing network. |
| 6. | | Agriculture Power Connection to Consumer. (Distribution of electricity in the western region of the state and new service connection.) |
| 7. | School Education Department | MP board Registration and admission |
| 8. | Food, Civil Supplies And Consumer Protection Department | Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) |
| 9. | | Issuing new eligibility slips to eligible families covered under the National Food Security Act, 2013. |
| 10. | | Registration for Uparjan |
| 11. | Finance Department | Identification of employees & beneficiaries in IFMIS by Directorate of treasuries & Accounts |
| 12. | | Entire applications on SAMAST portal |
| 13. | Revenue Department | Undisputed Mutation Transfer (RCMS) |
| 14. | | services of Bhulekh (Land records) |
| 15. | | Dharnadhikar Scheme, SARA-RCMS |
| 16. | Higher Education Department | Registration/Admission/Degree/Diploma/Migration & provisional Service |
| 17. | Social Justice and Disabled Welfare Department | Disabled Marriage Incentive Scheme Registration |
| 18. | | Registration of Civil Service Incentive Scheme for Disabled Persons |
| 19. | | Registration of fee/subsistence allowance and transport allowance scheme for disabled students in higher education |
| 20. | | Registration for hostel scheme for disabled students |
| 21. | | Registration of grant assistance scheme for multi-disabled and mentally retarded disabled persons above the age of six years |

| Part-B | | |
|---|---|---|
| **Samagra ID being used/integrated shortly** | | |
| 22. | General Administration Department | License certification for seed sale |
| 23. | | MPPSC Candidate - One time registration of Candidate |

| | | |
|---|---|---|
| 24. | Planning, Economics and Statistics Department | Death Certificate |
| 25. | | Birth Certificate |
| 26. | | Permission for registration after 1 year of birth |
| 27. | | Permission for registration after 1 year of death |
| 28. | Commercial Taxes Department | Citizen User Registration, Service provider user creation, E-Registry (registration of Doc.) |
| 29. | | E-Stamp |
| 30. | | Verification of parties and witness to transaction during registration of deeds |
| 31. | | Authentication of Sub-Registrar while approving registration of deed |
| 32. | Transport Department | Driving License - New / renew/duplicate |
| 33. | | Registration of Vehicles |
| 34. | Energy Department | Providing new permanent low pressure connection from the existing network after depositing the amount as per demand letter. |
| 35. | | Issuing demand letter for providing temporary connection upto 10 KW where there is no requirement for expansion in the existing low tension infrastructure. |
| 36. | | Where there is no need for expansion in the existing infrastructure, temporary connection up to 10 KW is provided after depositing the amount. |
| 37. | Farmer Welfare and Agriculture Development Department | Grant of permission to Hammal (Mandi functionary) |
| 38. | | Pesticide License |
| 39. | | Granting permission to weighman (market operator) |
| 40. | | Renewal of licence of Hammal (Mandi operator) |
| 41. | | Renewal of license of weighman (market operator) |
| 42. | | Renewal of license of trader (market operator) |
| 43. | | Renewal of license of fruit-vegetable processor / manufacturer (mandi operator) |
| 44. | Revenue Department | Land mortgage - Request to verify land owners |
| 45. | Labour Department | Registration certificate of shops and commerical establishment |
| 46. | Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department | (PSS) Price Support Scheme - farmer Authentication & eKYC |
| 47. | Public Health and Medical Education Department | e-Vittapravaha and doctors undertaking sonography and making entries in the PCPNDT online application. ( verification of DDO) |
| 48. | | Student / Applicant verification. |
| 49. | | Fresh registartion/ Registration renewal |
| 50. | | NOC for Registraion |
| 51. | | Issuance of disability certificate |
| 52. | | Vaccination under National Immunization Program |
| 53. | | Medical verification of age of the applicant |
| 54. | | Approval in the case of Chief Minister's Child Heart Treatment Scheme |
| 55. | | Providing medical fitness certificate for appointment by the medical officer |
| 56. | | Providing Green Card under Family Welfare Programme |
| 57. | | National Child Health Program |
| 58. | | Registration for issuance of disability certificate |

| | | |
|---|---|---|
| 59. | School Education Department | Candidate application verification for calling various position and various exam for MPSOS through MP Online Portal. |
| 60. | | Duplicate markesheet |
| 61. | | Marksheet Modification/Correction |
| 62. | | Guest Faculty Management System |
| 63. | | Madrasa Registration and Recognition from Board for Madrasa (Madrasa Board) |
| 64. | | Committee Registration(Madrasa Board) |
| 65. | | Renewal of Recognized madarsa (Madarsa Board) |
| 66. | | Renewal of Committee (Madrasa Board) |
| 67. | Higher Education Department | Mukhya Mantri Vidya Laxmi Yojana |
| 68. | | Registration processes for all university (affiliated from Higher edu. Dept) Services for all university (affiliated from Higher edu. Dept) |
| 69. | Technical Education, Skill Development and Employment Department | Aadhaar Authentication of each candidate to avoid impersonation and other malpractices during the online examination and to ensure fair conduction of examination. |
| 70. | | Registration of Candidate/Candidate for Professional and Recruitment Examination |
| 71. | | Janbhagidari ke Aadhar par Rojgar Karyalay Ka Unnayan evam Adhunikikaran (registraion on MP Rojgar Portal) |
| 72. | | Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)- Under Short Term Skilling Training Programs |
| 73. | | (Purpose of Registration and maintenance of the attendance of beneficiary - which will avoid impersonation and de-duplication of beneficiaries). |
| 74. | | Skill Development education Scheme - registration |
| 75. | | Admission Process for Counselling Technical Courses |
| 76. | | ITI certificate or ITI counseling admission process |
| 77. | Public Health and Medical Education Department | Registration & Verification of Applicant for government sponsored schemes |
| 78. | | Educational/exam registration & admission of students |
| 79. | | Verification of Faculties/Teaching Staff in their colleges - Paramedical & Nursing Council |
| 80. | Science and Technology Department | Aadhaar based attendance System |
| 81. | | CPCT (MAPIT) exam registration & score card |
| 82. | Animal Husbandary and Dairying Department | Beneficiary Registration for Induction of Small Animals and Poultry |
| 83. | Micro, Small and Medium Enterprises Department | Beneficiary Registration for Mukhya Mantri Udhyam Shakti Yojana |
| 84. | | Beneficiary Registration for Mukhya Mantri Udhyam Kranti Yojana |
| 85. | Tribal Welfare Department | Beneficiary Registration for Tantya Mama Arthik Kalyan Yojna |
| 86. | | MP Van mittra Portal (Verification of applicants for forest right act) |
| 87. | | Beneficiary Registration for Bhagwan Birsa Munda Swarojgar Yojana |

| | | |
|---|---|---|
| 88. | Urban Development and Housing Department | Improvement of hand pumps and tube wells in urban areas and investigation regarding whether the water is potable or not and giving report |
| 89. | | Trade License |
| 90. | | Transfer of undisputed property (death case) |
| 91. | | Transfer of undisputed property after mutual sale deed between buyer and seller |
| 92. | Panchayat and Rural Development Department | Grading of rural self-help groups |
| 93. | | Registration of colonizer in rural areas. |
| 94. | | Renewal of colonizer license in rural areas. |
| 95. | | Permission for colony development in rural areas. |
| 96. | | Permission for building construction in rural areas |
| 97. | Social Justice and Disabled Welfare Department | Application for new builder license |
| 98. | Revenue Department | Property Certificate |
| 99. | | solvency certificate |
| 100. | | Supply of copies of current Khasra Khatauni |
| 101. | | Supply of copies of current map |
| 102. | | Supply of land rights and loan book for the first time |
| 103. | | Supply of second copy (duplicate copy) of land rights and loan book |
| 104. | | Nazul No Objection Certificate |
| 105. | | Order/Interim Order or other passed in pending cases in Revenue Court (except Revenue Board) |
| 106. | | Possession Certificate |
| 107. | | Undisputed partition |
| 108. | | Demarcation of land |
| 109. | Co-operation Department | Registration of members in cooperative societies |
| 110. | Home Department | Online character verification. |
| 111. | | Verification of Candidate during Police Recruitment. |
| 112. | | Renewal of Arms License of unaccepted bore before expiry of license period (New) |
| 113. | | Arms License |
| 114. | | Renewal of Arms License of unaccepted bore after expiry of license period (New) |
| 115. | | Duplicate copy of Arms License (in case the license is worn out/damaged/destroyed) |
| 116. | | Providing photocopy of death intimation/Postmortem report |
| 117. | | Application form for registering the weapon (first weapon which is not for resale) in the approved arms license |
| 118. | | Surrender of weapon after death and cancellation of license |
| 119. | | Application form for registering the weapon (first weapon which is not for resale) in the approved arms license |
| 120. | Religious Trusts and Endowments Department | C.M. Teerth Darshan Yojana - online application |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

GURU PRASAD, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.